भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3331

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

सड़क की खराब स्थिति के कारण दुर्घटनाएं

3331. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों में खराब सड़क स्थिति वाली टोल सड़कों पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या के संबंध में वर्ष-वार आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) क्या इन दुर्घटनाओं के लिए टोल परियोजना अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया है और सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) टोल वसूली की अवधि के दौरान सड़कों के रखरखाव के संबंध में ठेकेदारों के लिए क्या जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान खराब रखरखाव के कारण वर्ष-वार कितने ठेकेदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ङ) कितने मामलों में टोल अनुबंध रद्द किए गए हैं और यदि की गई कार्रवाई नगण्य है, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के निर्माण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों (डेटा) के आधार पर "भारत में सड़क दुर्घटनाएं" पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है, जिसमें विभिन्न कारणों से एनएच पर सड़क दुर्घटनाओं का डेटा भी शामिल है। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं का डेटा दिनांक 11.03.2026 तक ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) पर आधारित है: -

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या
2020	1,19,615
2021	1,28,825
2022	1,51,997
2023	1,50,177
2024	1,50,958
2025	1,35,005

(ख) और (ग) टोलिंग एजेंसियां प्रयोक्ता शुल्क के संग्रणह के लिए उत्तरदायी हैं और परियोजना खंड के रखरखाव से संबंधित नहीं हैं। पुलों, संरचनाओं आदि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का रख-रखाव और अनुरक्षण विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) अनुबंधों में, संविदाकार निर्माण अवधि के दौरान और उसके बाद दोष देयता अवधि-सह-अनुरक्षण अवधि के दौरान सड़क का रखरखाव करते हैं। डिज़ाइन निर्माण वित्त संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी)/ हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) अनुबंधों में, रियायतग्राही निर्माण अवधि के दौरान और उसके बाद रियायत अवधि की समाप्ति तक सड़कों का रखरखाव करते हैं। टोल संचालन और हस्तांतरण (टीओटी)/ अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) करारों के विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान सड़क का रखरखाव करते हैं। शेष राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का रखरखाव सामान्यतः कार्य निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) और अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के संविदाकारों द्वारा किया जाता है। यदि प्रयोक्ता सेवा दायित्वों के संबंध में गैर-अनुपालन की पहचान की जाती है, तो संविदात्मक और विनियामक ढांचे के अनुसार संबंधित संविदाकार/रियायतग्राही के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के खराब रखरखाव के कारण जिन संविदाकारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	खराब रखरखाव के कारण जिन संविदाकारों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है
2020-21	10
2021-22	9
2022-23	22
2023-24	26
2024-25	37
2025-26 (फरवरी तक)	29

एनएच-44 के होसुर-कृष्णागिरी खंड के बीओटी (टोल) परियोजना को 6 लेन बनाने के संबंध में परियोजना राजमार्ग का रखरखाव नहीं कर पाने के कारण रियायत करार को दिनांक 22.01.2024 को समाप्त कर दिया गया था।

*****